

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1275 / एफ-2-30 / 31 / एस-2 / 2018,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 08 / 03 / 2019

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)


विषय :- धमतरी जिले के विकासखण्ड-धमतरी की महानदी परियोजना अंतर्गत रुद्री बैराज से अछोटा पहुंच मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-314 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2018 / 13937, रायपुर, दि. 20.08.2018.

राज्य शासन एतद् द्वारा धमतरी जिले के विकासखण्ड-धमतरी की महानदी परियोजना अंतर्गत रुद्री बैराज से अछोटा पहुंच मार्ग हेतु लागत राशि रु. 68.08 लाख (रूपये अड़सठ लाख आठ हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

1. योजना ग्राम-अछोटा एवं आसपास के ग्रामवासियों के आवागमन हेतु प्रस्तावित है।
2. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
3. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
4. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23 जल संसाधन विभाग, लेखाशीर्ष-4700 वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [02]-महानदी परियोजना समूह, {800}-अन्य व्यय, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य), (2898)-बांध तथा संलग्न कार्य, #26-वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25 / 2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 23.02.2019 में व्यक्त की गई सहमति।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(याकुब खस्स)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग


...2

पृ. क्र. 1276 / एफ-2-30 / 31 / एस-2 / 2018,

अटल नगर, दिनांक 08/03/2019

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
4. अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
8. कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.) ।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर ।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
13. अधीक्षण अभियंता, म.ज.प.बांध मंडल रूद्री, जिला-धमतरी ।
14. कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग रूद्री, जिला-धमतरी (छ.ग.) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
15. आदेश फोल्डर ।


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग